AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बिहार के सकारात्मक राजनीति में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Author
जितेन्द्र कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग
मगध विश्वविद्यालय
बोधगया, बिहार, भारत

शोध सार

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की गिनती उन उत्कृष्ट राष्ट्रीय नेताओं में की जाती है, जिन्होंने महात्मा गाँधी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। उनकी गिनती कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में भी की जाती है, जो अन्त तक राष्ट्रपति द्वारा निरूपित आदर्शों और मूल्यों के प्रति सदैव दृढ़निश्चयी रहे। कांग्रेस के पदों या नेतृत्व को लेकर जब भी कोई भ्रम उत्पन्न हुआ और जब कभी अधीर किस्म के लोग अहिंसा के संकरे पथ से विचलित होते दिखाई दिए, जिन घटनाओं से गाँधी जी अनेक बार अत्यधिक व्यथित हुए, तब ऐसे अवसरों पर राजेन्द्र प्रसाद अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि गाँधी जी का बताया रास्ता ही उद्देश्य प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है और वह इस हेतु सतत् प्रयत्नशील भी रहे।

मुख्य शब्द

न्यायालय, वकालत, कांग्रेस समिति, संविधान सभा, चम्पारण, राष्ट्रपति.

भूमिका

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जन्म 3 दिसम्बर, 1884 को उत्तर बिहार में सारण जिले के जीरादेई में एक ऐसे सम्पन्न कायस्थ परिवार में हुआ था, जिसके पास पर्याप्त भूसम्पत्ति थी। वर्ष 1896 में जब उनकी आयु केवल बारह वर्ष की थी तब राजबंसी देवी के साथ उनका विवाह हो गया। उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की, जहाँ से उन्होंने 1907 में एम. ए. पास किया। इसके बाद उन्होंने 1910 में बी. एल. किया और फिर 1915 में एम. एल. भी किया। वे एक सफल वकील बनना चाहते थे तथपि उन्होंने वर्ष 1911 से 1920 तक पहले उच्च न्यायालय में, अनियमित रूप से वकालत की। इस दौरान उन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज में दो वर्ष तक अध्यापन का भी कार्य किया। एक छात्र के रूप में, राजेन्द्र प्रसाद का पूरा शैक्षिक रिकार्ड एक प्रतिभाशाली छात्र का रहा और एक वकील के रूप में वह बहुत थोड़े समय में ही मशहूर हो गए।[2]

राजेन्द्र बाबू अपनी वकालत को जमाने के लिए संघर्ष कर स्थापित होने की दिशा में काम कर ही रहे थे कि महात्मा गाँधी द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन का पदार्पण हुआ। इस आंदोलन का व्यापक असर उनके जीवन पर पड़ा और वे फिर से एक कदम आगे बढ़कर आजादी के समर में कूद पड़े। वर्ष 1912 में, इन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में स्वागत सचिव बनाया गया। वर्ष 1913 में उन्होंने मुंगेर में हुए बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 1917 में चम्पारण सत्याग्रह के दौरान गाँधी जी के सम्पर्क में आए। चम्पारण के किसानों को नील की खेती कराने वाले अंग्रेजी हुकूमरानों द्वारा शोषण किया जा रहा था। यह शोषण कई वर्षों तक चलता रहा। चम्पारण के किसानों ने इससे मुक्ति के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई राहत नहीं

मिली। ब्रिटिश सरकार शोषकों के साथ थी, यहाँ तक कि न्यायालय भी उन गरीब किसानों को न्याय नहीं दिला सकी। इन्हें अपनी परती भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था और उन्हें इसके बदले बहुत कम मूल्य दिया जाता था। नील की खेती कराने वाले व्यक्तियों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से अन्य कई जबरन वसूलिया की जाती थीं।

उक्त शोषण के खिलाफ विद्रोह हुए और अनेक किसानों को जेल आना पड़ा तथा नील की खेती कराने वाले व्यक्तियों और सहायकों के हाथों अन्य प्रकार से उन्हें विभिन्न यातनाएँ झेलनी पड़ी, फिर भी शोषण जारी रहा। उनके परिवार एवं बच्चों की स्थिति काफी बदहाल थी। उनके बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे अमानवीय एवं अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर थे।

राजकुमार शुक्ल, जो नील की खेती कराने वाले व्यक्तियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे, वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस में उक्त किसानों की समस्या के प्रति गाँधी जी में रूचि उत्पन्न करने में सफल हो गये और 1917 के शुरू में उन्हे हालात दिखाने के लिए बिहार ले गए। वह उन्हें पटना में राजेन्द्र प्रसाद के घर ले गए। राजेन्द्र प्रसाद उस समय शहर में नही थे। घर के नौकरों ने उन्हें अपने मालिक का गरीब मुवकिल समझ कर बाहर के कमरे में ठहरा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें शौचालय और स्नानगृह का इस्तेमाल नहीं करने दिया। गाँधी जी ने पटना के प्रमुख वकील और कांग्रेस के नेता मजहरूल हक से सम्पर्क किया, इनसे गाँधी जी की भेंट इंगलैंड में हुई थी। मजरूल हक उन्हें अपने घर ले गए और उसी रात को गाँधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ चम्पारण चले दिए। मुजफ्फरपुर में, आचार्य कृपलानी द्वारा उनका स्वागत किया गया। राजेन्द्र प्रसाद को जब सारी बातों की जानकारी हुई तब उन्होंने तुरन्त गाँधी जी से बात की। उन्होंने गाँधी जी से माफी माँगी और तत्काल चम्पारण आंदोलन में उनके साथ हो गये।[3]

गाँधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों की जाँच करने का निर्णय करके सभी पीड़ित व्यक्तियों के बयान लेने शूरू किये। अपना जाँच कार्य आरंभ करने से पहले वह जिला अधिकारियों तथा ''प्लांटर्स एसोसिएशन'' के अधिकारियों से मिले। उन्होंने उन्हें जाँच करने से रोकने की कोशिश की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके लिए निष्कासन का आदेश जारी किया गया, जिसकी उन्होंने परवाह नहीं की। राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य वकीलों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने जाँच जारी रखने का निर्णय किया और तय किया कि यदि उन्हें जेल भेजा गया तो उनके साथ भी जेल जाएंगे। इससे गाँधी जी को प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि तब उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अन्त में निष्कासन आदेश वापस लिया गया और जाँच जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई।

चम्पारण किसान आंदोलन में गाँधी जी के साथ प्रमुख सहयोगियों में गोरख प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और धरनीधर प्रसाद मुख्य थे। 17 अप्रैल 1917 से उन्होंने पहले मोतिहारी में और उसके बाद बेतिया में किसानों के बयान को लिपिबद्ध करना शुरू किया।[4]

राजेन्द्र प्रसाद का परिवार रूढ़िवादी हिन्दू परिवार था। वह केवल ब्राह्मण अथवा अपनी ही जाति द्वारा बनाया गया भोजन करते थे। वे अपने हाथों से कभी भी भोजन नहीं बनाये लेकिन अन्य कार्यों में उनका कोई जोड़ नहीं था। जब वे गाँधी जी के सानिध्य में आए तो उन्हें स्वयं अपने कार्यों को करने का असर पड़ा और ठीक इसके विपरित वे सभी कार्यों को स्वयं करने लगे। यहाँ तक कि वे अपने मनपसंद व्यंजनों को अपने हाथों से तैयार करते थे। यह था असर गाँधी जी का इनके जीवर पर। कालांतर में चलकर महिलाओं ने भी इस आंदोलन, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं को नई राह दिखाने का काम 'कस्तुरबा' स्वयं कर रही थी। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने, आर्थिक रूप से समुन्नत करने के लिए चरखा समिति के बैनर तले महिलाओं को सूत कातने और कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण दिया। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया। इन बुनियादी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर महिलाओं में जागृति आयी साथ ही ग्रामीण स्तर पर छोटे–छोटे गृह उद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया। गाँधी जी और कस्तुरबा ने महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए सफाई पर बल दिया। समूचे देश में गाँधी जी के इस कार्य

की सराहना की गई। राजेन्द्र बाबू सहित उनके साथियों ने गाँधी जी के रचनात्मक कार्यो में सहयोग दिया।[5]

फिर राजेन्द्र प्रसाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसके बाद उन्होंने गाँधी जी द्वारा शुरू की जाने वाली सभी गतिविधियों में सदैव बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। 1918 में उन्होंने ''सर्चलाइट'' नाम से एक अंग्रेजी दैनिक और 1920 में ''देश'' नाम से एक हिन्दी साप्ताहिक शुरू किया।[6]

1920 में जब गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो राजेन्द्र प्रसाद इस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु पटना में उन्होंने मजहरूल हक के साथ एक स्वराज सभा की स्थापना की। उन्होंने 'नेशलन कॉलेज' की भी स्थापना की तथा इसके प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया। उनके सक्रिय मार्ग निर्देशन में असहयोग आंदोलन बिहार में बड़ी तेजी से बढ़ा। यहाँ तक कि प्रान्तों के दूरस्थ गाँवों में स्वराज, खद्दर और नशाबंदी का संदेश दिया। राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक ''ऐट दी फीट ऑफ महात्मा गाँधी'' में कहा है कि उन्होंने पूरे प्रान्त के लगभग सभी सब डिविजनों का दौरा किया।[7]

फरवरी 1922 में चौरी–चौरा हिंसा कांड के बाद, जब गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, तो बहुत से कांग्रेस जनों ने उनकी आलोचना की तथा अनेक व्यक्तियों ने अपना आक्रोश अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की उस बैठक में व्यक्त किया जो दिल्ली में उस माह के अंत में हुई थी। राजेन्द्र प्रसाद उन कुछेक व्यक्तियों में से एक थे, जो गाँधी जी की बातों से पूरी तरह से सहमत थे। तत्पश्चात् मार्च में जब गाँधी जी को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, तो राजेन्द्र प्रसाद अदालत में उपस्थित थे और न्यायाधीश ने जब गाँधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, तो राजेन्द्र प्रसाद अपने भावादेश को नहीं रोक सके तथा वह वहीं फफक कर रो पड़े।[8]

गाँधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस दो भागों में बंट गई– एक तरफ परिवर्तन समर्थक (प्रो चेन्जर्स) थे जो विधानमंडलों में जाना चाहते थे तथा दूसरे पक्ष में परिवर्तन विरोधी (नो– चेन्जर्स) थे, जो असहयोग आंदोलन जारी रखना तथा कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधान मंडलों आदि का बहिष्कार करते रहना चाहते थे। परिवर्तन समर्थकों का नेतृत्व सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेता और अलीबन्धु कर रहे थे। परिवर्तन विरोधी में राजेन्द्र प्रसाद, सी. राज गोपालचारी, वल्लभभाई पटेल जैसे कम जाने–माने युवा कांग्रेसी सम्मिलित थे, लेकिन ये अपने से वरिष्ठ नेताओं पर भारी पड़े।

दिसम्बर, 1922 के गया कांग्रेस सम्मेलन में राजेन्द्र प्रसाद स्वागत समिति के सचिव थे और सम्मेलन की सभी तैयारियों में होने वाली कठिनाईयों को उन्हें झेलना पड़ा। समिति के सामने धन की कमी प्रमुख समस्या थी। राजेन्द्र प्रसाद ने धन जमा करने का कार्य शुरू किया और कुछ ही दिनों में अपने अथक परिश्रम से हजारों रूपये एकत्रित करने में सफल हो गये। इस सफलता का श्रेय, उन्होंने गाँधी जी से प्राप्त शिक्षा को दिया। उनसे प्रभावित होकर बिहार के अन्य लोग भी धन जमा करने के अभियान में शामिल हो गये।[9]

गया कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर सी. आर. दास को अध्यक्ष पद पर बने रहने दिया गया। इन्हें अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में चुना गया था। उन्होंने परिषद् में जाने का पक्ष रखा, जबकि इसके लिए राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में बहुमत रखने के बाद दास जी का चयन हुआ। एक तरफ से यूँ कहा जाय कि 'परिवर्तन विरोधियों' की जीत हुई। इस अधिवेशन में राजेन्द्र प्रसाद अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव बने रहे।

इधर 1924 में गाँधी जी को अस्वस्थ रहने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। उस समय गाँधी जी ने कांग्रेस के राजनीतिक कार्य ''परिवर्तन समर्थकों'' को सौपने और स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने रचनात्मक कार्य करने हेतु अखिल भारतीय कताई संघ, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और हरिजन सेवक संघ जैसे संगठनों की स्थापना की। इनमें से प्रत्येक कार्य में राजेन्द्र प्रसाद ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इन कार्यों में अपना इतना समय लगाया कि परिषद् में जाने संबंधी विवाद में उन्हें कोई रूचि लेने की भी फुरसत नहीं मिली। वर्ष 1926 और 1927 में हिन्दी सहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के सिवाय उन्होंने 1923 से 1927 तक अपना पूरा समय इन कार्यों में लगाया।[10]

वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान राजेन्द्र प्रसाद निरन्तर गतिशील बने रहे और नमक सत्याग्रहियों के दलों का मार्ग निर्देशन करते रहे। उन्होंने नमक बनाने के कार्य का निरीक्षण किया तथा सार्वजनकि सभाओं में नमक की नीलामी की। पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों की भीड़ पर प्रहार किया गया तथा बड़े पैमाने पर उनकी गिरफ्तारियाँ की गई, लेकिन सत्याग्रहियों की तरफ से कभी कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की गई। राजेन्द्र प्रसाद ने स्वयं पुलिस की लाठियों की चोट झेली।[11]

आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में सरकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए झिझकते रहे, क्योंकि उन्हें इसके परिणामस्वरूप दंगे होने की आशंका बनी हुई थी। अन्ततः 6 जुलाई 1930 को उन्हें छपरा से स्थानान्तरित कर हजारीबाग जेल लाया गया।

15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में एक महाविनाशकारी भूकम्प आया। भूकम्प इतना भीषण था कि झटके का प्रभाव लाहौर, शिलांग, बम्बई और विजयवाड़ा में दूर–दूर तक महसूस किये गये। इस तबाही में 25,000 लोग मौत के शिकार हुए थे, सम्पति की बेहिसाब क्षति हुई, शहरी क्षेत्र की सभी इमारतें ढह गयी, सड़के और पुल नष्ट हो गये थे। हालांकि इस त्रासदी से 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र प्रभावित हुआ था लेकिन इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, पूर्णिया और भागलपुर इलाके सर्वाधिक प्रभावित हुए।[12]

इस त्रासदी के समय राजेन्द्र प्रसाद जेल में थें, लेकिन शीघ्र ही उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने राहत का कार्यभार अपने हाथ में लेकर इसे व्यवस्थित रूप से करना शुरू कर दिया। संपूर्ण भारत में इस हेतु दान देने की बड़ी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। चौहत्तर से अधिक राहत संगठनों ने अपनी पूरी शक्ति से घायलों और बेघरों की सेवा की। लेकिन इस कार्य का प्रमुख भार, बिहार की उस केन्द्रीय राहत समिति पर था, जिसके अध्यक्ष और मुख्य प्रेरक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। गाँधी जी उस समय हरिजनों के हित में दक्षिण का दौरा कर रहे थे। राजेन्द्र प्रसाद उन्हें पीड़ित बिहार का दौरा करने के लिए राजी करने में सफल हो गये और गाँधी जी ने राजेन्द्र बाबू के साथ 12 मार्च से 9 अप्रैल तक बिहार का दौरा किया। उन्होंने गाँधी जी से यह भी आग्रह किया कि व्यवस्थित रूप से हिसाब–किताब रखने और उसकी लेखा–परीक्षा करने हेतु जे. सी. कुमारप्पा की सेवाओं की उन्हें आवश्यकता है। गाँधी जी ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली। बाद में कुछ लोगों ने राजेन्द्र बाबू पर राहत समिति द्वारा एकत्रित की गई भारी राशि के उपयोग को लेकर छींटाकशी करने का प्रयास किया। राजेन्द्र बाबू के पास लेखा परीक्षित लेखाओं के दो खंड उपलब्ध थे, जिसने आलोचकों के मुंह बन्द कर दिए।

सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में आयोजित 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात् व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के प्रश्न पर सुभाष बोस द्वारा प्रदर्शित अधीरता एवं कार्य समिति की अपने अध्यक्ष के साथ चलने की अनिच्छा के परिणामस्वरूप संगठन में संकेत उत्पन्न हो गया।

मतभेद इतने गंभीर हो गये थे कि अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करें तथा अपनी कार्य समिति का चयन स्वयं कर ले अथवा त्यागपत्र दे दे। जब सुभाषचन्द्र बोस ने 29 अप्रैल, 1939 को त्यागपत्र दे दिया, तो संकट की उस घड़ी में कांग्रेस का मार्गदर्शन करने के लिए राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राजेन्द्र बाबू ने अपने कर्त्तव्यों का अति कुशलता एवं एकनिष्ठा से निर्वाह किया।

जब युद्ध आरंभ हुआ, तो कांग्रेस को अपने अहिंसा के सिद्धांत के संबंध में अपनी स्थिति को पुनः स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि इसे यह निर्णय करना था कि युद्ध के प्रति इसे क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कार्य समिति के प्रमुख वर्ग का विचार था कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय सरकार की मांग को मानने के लिए सहमत हो, तो कांग्रेस को युद्ध का समर्थन करना चाहिए। लेकिन गाँधी जी ने कहा कि युद्ध के समर्थन का अर्थ होगा कि हम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं तथा इसमें भाग ले रहे है। उन्होंने कहा कि वे इस विचार से सहमत नहीं है। राजेन्द्र प्रसाद गाँधी जी से पूरी तरह सहमत थे और उन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। ऐसा करने वाले एकमात्र अन्य सदस्य खान अब्दुल गफ्फार खाँ थे जो गाँधी जी के परम अनुयायी तथा अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। राजेन्द्र बाबू का अपना इस्तिफा वापस लेने के लिए मना लिया गया क्योंकि यह कहा गया कि जब तक ब्रिटिश

सरकार राष्ट्रीय सरकार की मांग को स्वीकार नहीं करती, तब तक युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कांग्रेस के आगे आने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तथापि गफ्फार खाँ नहीं झुके।[13]

ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया जिसमें भारत को अपनी सरकार देने पर युद्ध में सहायता देने की बात कही गई थी और परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने एक होकर गाँधी जी के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। राजेन्द्र प्रसाद अस्वस्थ रहने की वजह से सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सके। गाँधी जी ने कहा है कि बीमार व्यक्ति को गिरफ्तार करना उचित नहीं है।

अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। इसमें गाँधी जी स्वयं नहीं गये लेकिन एक प्रस्ताव भेजे, इस प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडु, मौलाना आजाद तथा अन्य व्यक्तियों ने विरोध किया। तब राजेन्द्र प्रसाद ने सबों के विचारधाराओं को भांपते हुए सोच–समझकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बाद में दुबारा विचार करने पर उन्होंने इसे वापस ले लिया कि पता नहीं गाँधी जी इसके बारे में क्या सोचेंगे। निःसंदेह गाँधी जी के प्रस्ताव में कार्य समिति द्वारा भारी फेरबदल किया गया, फिर भी गाँधी जी ने कहा कि वे इसे स्वीकार कर लेगें। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की इस बैठक में राजेन्द्र बाबू ने साकारात्मक भूमिका अदा किया।

कालांतर में, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात् सरकार कांग्रेस पर टूट पड़ी। राजेन्द्र बाबू पटना में थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण वे बम्बई नहीं जा पाये थे। उन्हें 9 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया। अस्वस्थता की स्थिति में भी ब्रिटिश सरकार उनपर जुल्म करता रहा। वे दमा और ''अमीबा कॉलेटिस'' से पीड़ित थे। वर्धा की शुष्क जलवायु उनके लिए उपयुक्त थी तथा वे प्रायः गाँधी जी से मिलने के लिए तथा आवश्यतानुसार, स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ आया करते थे।

भारत छोड़ो आंदोलन ने बड़े पैमाने पर और तेजी से जोर पकड़ा, यद्यपि राजेन्द्र बाबू को इस बात का दुःख हुआ कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक नहीं रह गया था। रेल पटरियां उखाड़ दी गई, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिये गये तथा अनेक थानों पर लोगो ने कब्जा कर लिया। काफी लम्बे समय तक रेल यातायात अस्त–व्यस्त रहा। राजेन्द्र बाबू लिखते हैं कि कुछ स्थानों पर हफ्तों तक सरकारी काम–काज ठप्प पड़ा रहा। सभी नेता जेलों में बंद थे और लोगों ने सोचा कि जब तक कोई मरता नहीं, उनके द्वारा की गई सकारात्मक कार्यवाहियाँ अहिंसक ही समझी जायेंगी। लेकिन गाँधी जी ने बाद में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका सोचना गलत था।[14]

राजेन्द्र प्रसाद को कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 15 जून 1945 को जेल से मुक्त किया गया तथा उन्होंने 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक वायसराय द्वारा बुलाये गये शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया। 25 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली राष्ट्रीय सरकार जो एक अंतरिम सरकार थी, गठित की गई, तो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में सरकार में शामिल हुए। राजेन्द्र बाबू की काबिलियत और सकारात्मक सोच को दृष्टि में रखते हुए उन्हें 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के सभापति के रूप में भार सौंपा गया। इस गरिमापूर्ण संस्था की कार्यवाही का जिस प्रकार उन्होंने संचालन किया, उसकी व्यापक रूप से सराहना की गई। इस पद पर वे तीन वर्ष अर्थात् 1949 ई. तक बने रहे। आचार्य कृपलानी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, तब उन्हें 17 नवम्बर, 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भार भी ग्रहण करना पड़ा।[15]

कालांतर में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया। वे पहली बार 26 जनवरी 1950 को इस पद पर निर्वाचित हुए। उन्होंने 13 मई, 1952 तक अन्तरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया तथा भारत में प्रथम आम चुनाव के पश्चात् तथा पुन 1957 के आम चुनाव के बाद औपचारिक रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तथा 12 मई, 1962 तक इस पद पर कार्य करते रहे। बड़ी संख्या में लोग चाहते थे कि वे पुनः इस पद पर आसीन हों, लेकिन उनकी इस पद पर और बने रहने की इच्छा नहीं थी। अवकाश ग्रहण करने के बाद वे पटना के सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका लम्बा कार्यकाल रहा। पूरी दुनिया के लोगों ने इन्हें सम्मान दिया।

राजेन्द्र प्रसाद की विद्वता विख्यात थी तथा अनेक विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्ट्रेट की विभिन्न डिग्रियों से विभूषित कर स्वयं को सम्मानित महसूस करते थे। उन्हें पटना विश्वविद्यालय द्वारा डी–लिट्, सागर विश्वविद्यालय द्वारा एल. एल. डी. तथा बनारस विश्वविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई।

निष्कर्ष

राजेन्द्र बाबू विनम्रता, आत्मविलोपन और त्याग की भावना के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया। उन्होंनें गाँधी जी के मार्गों पर चलकर देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन में भाई प्यारे लाल के साथ मिलने का मौका मिला। उन्हें प्रति दिन शाम के प्रार्थना सभा में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंनें बड़ी कर्मठता के साथ बिहार की राजनीति के साथ–साथ भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। उन्होंने समस्त कार्यों का निष्पादन काफी कुशलता से किया। देश के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इनका स्वर्गवास 1963 में हुआ। राजेन्द्र बाबू के चले जाने से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सर्वाधिक क्षति पहुँचा। ऐसे महात्मा को शत्–शत् नमन है।

संदर्भ सूची

1. नायर, सुशीला, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, प्रख्यात गाँधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्त्ता, पृ. 72।
2. पूर्वोक्त, पृ. 72।
3. पूर्वोक्त, पृ. 74–75।
4. पूर्वोक्त, पृ. 75।
5. चौधरी, बाल्मीकि (संपादित) ''डॉ. राजेन्द्र प्रसाद'' कास्पोन्डेन्स एण्ड सलैक्ट डाक्यूमेंट्स, वाल्यूम 12, नई दिल्ली, सलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड, 1989।
6. सर्चलाईट, 1920।
7. प्रसाद, राजेन्द्र : *''ऐट दी फीट ऑफ महात्मा''*।
8. प्रसाद, यदुनन्दन : *''देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का जीवनवृत''* बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2000 पृ. 40।
9. पूर्वोक्त, पृ. 49।
10. पूर्वोक्त, पृ. 51।
11. पूर्वोक्त, पृ. 62।
12. पूर्वोक्त, पृ. 75।
13. अहलुवालिया, शशी : *''फाउन्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया''* नई दिल्ली, मानस पब्लिकेशनस, 1986।
14. प्रसाद, यदुनन्दन, पूर्वोक्त, पृ. 114।
15. मुंशी, के. एम. ''इडियन कन्स्टियुशलन डाक्यूमेंट'', वाल्यूम I & II.

––==00==––